

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा
वादी

मुकाम : बांसवाड़ा(राज.)
प्रतिवादी

बनाम

~~श्री अशोक पिता श्री
श्री अशोक~~

~~श्री अशोक पिता श्री
श्री अशोक~~

किस्म मुकदमा : 88-8-5 Act

प्रकरण संख्या 90/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-11-12	<p>पत्रावली बाद जाँच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री अशोक पिता श्री श्री निवासी राजपुरा द्वारा एक वाद-पत्र अंतर्गत धारा 88-8-5 Act के तहत प्रतिवादी श्री अशोक पिता श्री अशोक निवासी सुरवाजिया के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 10-11-12 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा</p>	
10/11/12	<p>पत्रावली पेश हुई, अभियागक संच हस्ताक्षर पर होने से पत्रावली 10/11/12 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	
10/11/12	<p>पत्रावली पेश हुई, अभियागक संच। चुनाव कार्य में व्यस्त एवं P.O. सा. P. गूड. अभियान में व्यस्त होने से पत्रावली 10/11/12 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31-5-22	पञ्जावली पुद्गासन गाँव के सँग डाकियान फोलेष केस्य सुवानिया में केस डुरी वादी / परिवारी अनुपस्थित होने से टाकीनामा नहीं होने से पञ्जावली वाले लखवी दिनेंकु 28-6-22 को पेश है <u>पि</u>	
28-6-22	पञ्जावली केस डुरी वादी अनुपस्थित पञ्जावली वाले लखवी दिनेंकु 12-7-22 को पेश है।	
12-7-22	<p>पञ्जावली केस डुरी वादी / परिवारी डाकियान अनुपस्थित न्यायालय समय में निमायेत अंताल में वादी / परिवारी डाकियान के आधान लगायी गयी फिर भी न लो वादी और ना ही परिवारी डाकियान और ना ही वादीगण और ना ही परिवारीगण - न्यायालय में उपस्थित हुए।</p> <p>अस! वाद अन्तर्गत धारा 88 आदेशनिक 09 सीपी.सी.03 के तहत ल्यायेत छिभा वादी पञ्जावली फोलेस शुजा से न्यायतन लेकस की वाद दायित्व दफ्तार है।</p> <p>निर्णय से न्यायतन ल्याया गया <u>पि</u></p>	<p>उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)</p>